आर.सी.एम.एस. नम्बर 2025/154

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 75/2025 (अशोक कुमार बनाम सरकार वगै0)

निर्णय दिनांक :– 01.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.10.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार जमीन जैर बहस ख0न0 142, 143, 144 कुल किता 3 कुल रकबा 6.41 है0 वाके ग्राम झटावाखुर्द के राजस्व रिकार्ड में बालूसिंह के स्थान पर मोहन सिंह उर्फ मोहनलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है तथा गोमती पत्नी मोहन सिंह का नाम हजफ कर गोमती पत्नी मोहन सिंह के नाम दर्ज हिस्से की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.10.2025 को जारी की गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर